भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1282

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान

1282. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विनिर्माण क्षेत्र के विकास से संतुष्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी को किस प्रकार न्यायोचित ठहराती है;

(घ) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों जैसे अवसंरचना की कमी, कम निवेश और श्रम संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि यह क्षेत्र अगले दशक में समावेशी विकास और आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बन जाए?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, पिछले दस वर्षों के दौरान देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

स्थिर मूल्यों (वर्ष 2011-12) पर जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र का वर्ष-वार हिस्सा

वर्ष	जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान का %
2013- 14	17.2
2014- 15	17.3
2015- 16	18.1
2016- 17	18.1
2017- 18	18.4
2018- 19	18.3
2019- 20	17.1
2020- 21	18.4
2021- 22	18.5
2022-23 (एफआरई)	16.9
2023-24 (पीई)	17.3

एफआरई - *पहला संशोधित अनुमान, पीई- अनंतिम अनुमान*

पिछले दशक के दौरान देश के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। एमओएसपीआई द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन

(जीवीए) वर्ष 2013-14 के 15.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 (पीई) में 27.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा, स्थिर मूल्यों पर कुल जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2013-14 के 17.2% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 17.3% हो गया।

(घ) और (ङ) : अवसंरचना विकास, बढ़े हुए निवेश और सशक्त श्रम बाजार को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह क्षेत्र समावेशी विकास और आर्थिक विकास के मुख्य आधार के रूप में कार्य करे। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया, 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शुरू की गई हैं। इनमें मोबाइल और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, ड्रग इंटरमीडियरीज़ और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स औषधियां, विशेष इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी तथा ड्रोन और ड्रोन घटक शामिल हैं। इन स्कीमों में उत्पादन को प्रमुख रूप से बढ़ावा देने, विनिर्माण आउटपुट में वृद्धि करने तथा भविष्य में तीव्र आर्थिक विकास में योगदान देने की क्षमता है। अक्टूबर, 2024 तक 14 क्षेत्रों में 1.48 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 13.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन/बिक्री तथा 9.7 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। पीएलआई स्कीमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों से महत्वपूर्ण योगदान के साथ निर्यात 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 28,602 करोड़ रुपए (भूमि लागत सहित) है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन का विस्तार करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, प्लॉट स्तर पर 'प्लग एन प्ले' अवसंरचना प्रदान करके नए तथा बढ़ते हुए कार्यबल के लिए बेहतर जीवन और सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना और उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सतत और लचीली अवसंरचना प्रदान करके देश में विनिर्माण निवेश को सुविधाजनक बनाना है।

अन्य प्रमुख पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति संबंधी सुधार, मल्टीमोडल अवसंरचना की एकीकृत योजना हेतु पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना निगरानी समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हेतु कार्यकलाप, अनुपालन बोझ कम करने के उपाय, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉरपरेट कर की दर में कमी, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के नीतिगत उपाय आदि शामिल हैं।

*****